

राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1807/2011/उदयपुर

अपील संख्या 1808/2011/उदयपुर

मैसर्स न्यू राजस्थान प्रेसीटेक प्रा.लि.

उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत—अ, उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपरिथित

श्री योगेश पांखरणा

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: २२.४.२०१५

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक, उदयपुर के द्वारा अपील संख्या 107/आरएसटी/08-09 एवं 108/सीएसटी/रिमाण्ड/08-09 में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 08.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—अ,, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की है। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त जिला स्तरीय छानबीन समिति की सिफारिश पर अपीलार्थी कम्पनी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1988 (जिसे आगे योजना—1988 कहा जायेगा) के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 1/118 दिनांक 14.11.2000 को जारी किया गया। उक्त प्रमाण पत्र के अन्तर्गत पात्र स्थायी विनियोजन रु. 10.88 लाख मानकर कुल इसका 125 प्रतिशत से रु. 13.60.लाख दिनांक 18.03.2000 से प्रारम्भ करते हुए कुल 11 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया, जबकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा पात्र स्थायी विनियोजन रु. 23,10,914.89 के आधार पर कर मुक्ति चाही गई थी। इस बिन्दु पर कर बोर्ड में अपील करने पर कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील का निस्तारण दिनांक 09.07.2001 को करते हुए प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित करते हुए बाद जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये। उक्त निर्देशों की पालना में जिला स्तरीय छानबीन समिति यने संशोधित स्वीकृति दिनांक 15.01.2005 को जरी कर कुल लाभ रु. 13.60 लाख के स्थान पर रु. 18.06 लाख स्वीकृत कर दिया। उक्त कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी कम्पनी ने उत्पादन जारी रखा एवं दिनांक 31.12.2002 तक कुल लाभ रु.

13.03 लाख प्राप्त कर लिया तथा संशोधित स्वीकृति दिनांक 15.01.2005 प्राप्त होने तक कोई कर मुक्ति लाभ नहीं लिया गया। ऐसा करने के कारणकर निर्धारण आदेश से कर दायित्व का 80 प्रतिशत कर कर मुक्ति लाभ के स्थान पर 60 प्रतिशत ही लाभ स्वीकार किया गया,जिसमें सृजित अतिरिक्त मांग में संशोधन चाहा गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 सपठित केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत आदेश दिनांक 19.03.2008 पारित आंशिक संशोधन करते हुए निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की है, जिसके विरुद्ध ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं :—

अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	योग
1807/11/आरएसटी	2004–05	22515/-	2250/-	24,765/-
1808/11/सीएसटी	2004–05	10880/-	1195/-	12,075/-

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि बिक्री कर प्रोत्साहन योजना,1988 के अन्तर्गत अपीलार्थी को कर मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र 1/118 दिनांक 14.11.2000 को जारी किया गया था और उस समय उसकी स्वीकृति 13.60 लाख की दिनांक 18.03.2000 से 11 वर्ष के लिए दी गई थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 31.12.2002 के बाद लाभ लेना बन्द कर दिया और दिनांक 15.01.2005 को संशोधित स्वीकृति राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 09.07.2001 के अनुसरण में लाभ नहीं लिया इसलिए अपीलार्थी ने जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 तक की अवधि को घटाकर 11 वर्ष की गणना करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि उक्त अवधि को घटाकर लाभ की गणना नहीं की गई है,जो अनुचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2010 पारित किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना,1988 के अन्तर्गत कर मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र 1/118 दिनांक 14.11.2000 को 11 वर्ष की अवधि के जारी किया गया था किन्तु उसके द्वारा जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 तक की अवधि संशोधित आदेश दिनांक

15.01.2005 के आधार पर कर मुक्ति का लाभ नहीं लिया। अपीलार्थी ने जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 की अवधि को घटाकर 11 वर्ष की गणना करने का निवेदन किया गया, जिसको अमान्य कर दिया गया। इसी बिन्दु को अपील में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी को अपीलार्थी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1988 के अन्तर्गत कर मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र 1/118 दिनांक 14.11.2000 को 11 वर्ष की अवधि के जारी किया गया था, किन्तु उसके द्वारा जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 तक कर मुक्ति का लाभ नहीं लिया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने कर दायित्व 80 प्रतिशत कर मुक्ति के स्थान पर 60 प्रतिशत ही लाभ स्वीकार किया गया। अपीलार्थी को जिस अवधि के लिए कर मुक्ति लाभ स्वीकृत किया गया था, उस अवधि का लाभ लेना चाहिए था अतः जनवरी 2003 से दिसम्बर 2004 तक कर मुक्ति का लाभ नहीं लिया गया है इसलिए उक्त अवधि को घटाकर 11 वर्ष की गणना करने की मांग उचित नहीं है। इन्हीं तथ्यों का विवेचन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा विवेचत करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई उपरोक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)  
सदस्य